<u>न्यायालय, अवर न्यायाधीश बनमनखी (पूर्णियाँ)</u>

T.S-51/2021

24.01.2022 वादी एवं उपस्थित प्रतिवादी की ओर से हाजरी दी गई साथ ही शपथ–पत्र से संपुष्ट आदेश–6 नियम–17 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत संशोधन आवेदन साथ ही प्रस्तावित संशोधन दाखिल किया गया जिसकी एक प्रति प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को दी गई।

वाद पुकार पर उभय पक्ष अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए तथा वादी के संशोधन आवेदन पर विद्वान अधिवक्ता को सुना। इनका कथन है कि वाद–पत्र में भूल वश टंकक के गलती के कारण प्रतिवादीगण का पता गलत टंकण हो गया। जिसे उक्त संशोधन आवेदन द्वारा सुधार किया जाना आवश्यक है जो ऑपचारिक संशोधन है तथा इस संशोधन से वाद की प्रकृति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नही हो रहा है। अगर उक्त संशोधन आवेदन स्वीकृत नही किया गया तो वादी को काफी नुकसान हो सकता है। अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय। वही प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही की गई है।

सुना। अभिलेख अवलोकन से पाया जाता है कि वादी के द्वारा वाद–पत्र में प्रस्तावित संशोधन किये जाने से वाद की प्रकृति में किसी प्रकार का बदलाव नही हो रहा है तथा संशोधन की प्रकृति साधारण है। अतः ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर दाखिल संशोधन आवेदन को न्यायहित में **<u>स्वीकृत</u>** किया जाता है।

वादी को निर्देश दिया जाता है कि विहित समय के अंदर वाद–पत्र में संशोधन करे।

वाद दिनांक वास्ते उपस्थिति।

लेखापित

अवर न्यायाधीश